न्यायालय – भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी

दा0 खा0 अपील वाद सं0– 82/2019-20

प्रथम पक्ष – कलेश्वर साहू पिता कुशल साहू
ग्राम–बकसपुर, थाना–कर्रा, जिला–जिला।

द्वितीय पक्ष – अंचल अधिकारी, खूँटी।

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश	की गई कार्रवाई
10.12.20	अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक ने वर्त्तमान वाद दा0 खा0 वाद सं0–233R27/19-20 में अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.08.19 के विरूद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:–	

मौजा	थाना/थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा(एकड़ में)
महुँवाटोली	खूँटी 85	52	704	0.10

अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, खूँटी के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा आवेदक द्वारा विलम्ब से वाद दायर करने संबंधी U/S 5 of the Limitation Act के तहत आवेदन दाखिल किया गया। अपील संस्थित करने वो सुनवाई का प्रर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा0 खा0 अपील वाद को अंगीकार किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि मौजा–महुँवाटोली, थाना–खूँटी के उक्त भूमि जिसकी कुल रकबा 0.10 एकड़ है जिसे कलेश्वर साहू पिता कुशल साहू ग्राम–बकसपुर, थाना–कर्रा ने 1. जितु गोप वो 2. गुणा अहिर दोनों के पिता स्व0 दासु अहिर ग्राम–भण्डरा थाना–खूँटी वो 3. बुधु अहिर पिता स्व0 सनिका अहिर ग्राम–भण्डरा पुटकल टोली थाना–खँटी वो 4. चामु अहिर पिता स्व0 रतन अहिर भण्डरा पुटकल टोली थाना–खँटी वो 5. नारायण अहिर पिता स्व0 बुधु अहिर ग्राम–डबगाना थाना–खँटी वो 6. जीतु गोप पिता स्व0 दशरथ गोप ग्राम–खूँटी टोली, थाना–खँटी से बिक्री केवाला पट्टा सं0– 299/294 दिनांक 15.05.2018 से क्रय किया है।

अंचल अधिकारी, खूँटी के प्रतिवेदन अनुसार विक्रेता आवेदित भूमि का दखल संबंधी जांच की प्रक्रिया चलने के कारण नामांतरण अस्वीकृत की है।

अधिवक्ता ने बहस के दौरान बताया की अंचल अधिकारी द्वारा दखल संबंधी बिना जांच किये ही दखल संबंधी जांच की प्रक्रिया चल रही है बताकर दाखिल खारिज अस्वीकृत कर दिया गया है जो न्यायसंगत नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी को दाखिल खारिज संबंधी जांचोपरांत निर्णय लेना चाहिये था। अंत में अधिवक्ता द्वारा दाखिल खारिज स्वीकृत करने हेतु अनुरोध करते है।

अधिवक्ता के बहस को सूना एवं दाखिल किये गये कागजातों का अवलोकन करने के पश्चात् अंचल अधिकारी, खूँटी को **Remand** करते हुए निर्देश दिया जाता है कि आवेदित भूमि का दखल संबंधी स्वंय स्थल जांच करते हुए नामांतरण हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करे।

लेखापित एवं संशोधित
10/12/20
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

10/12/20
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।